न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
44/2023	31/05/2022	13/06/2023

1. गोपीलाल पुत्र भैरु उर्फ भैरुलाल जाति माली निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)
2. मदनलाल पुत्र भैरु उर्फ भैरुलाल जाति माली निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)
3. रामप्यारी पुत्री स्व. भैरु उर्फ भैरुलाल जाति माली निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)
4. लटूरी बाई पुत्री स्व. भैरु उर्फ भैरुलाल जाति माली निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा
जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

यह कि वाद पत्र से संबंधित ग्राम रोण पटवार हलका शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल में खाता संख्या 55 खसरा संख्या 111 रकबा 0.18है., खसरा संख्या 112 रकबा 0.20है., खसरा संख्या 116 रकबा 0.06है., खसरा संख्या 130 रकबा 0.13है., खसरा संख्या 142 रकबा 1.05है. ,खसरा संख्या 223 रकबा 0.19है., खसरा संख्या 297 रकबा 0.03है.खसरा संख्या 541 रकबा 0.62है., खसरा संख्या 615 रकबा 1.21है., खसरा संख्या 616 रकबा 1.88है., खसरा संख्या 619/701 रकबा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

0.31है. कुल किता 11 कुल रकबा 5.86है. कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि से संबोधित की गई है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से संबोधित की गई है।

उक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड के खातेदार स्व. छीतर पुत्र भैरु की मृत्यु हो चुकी है, उसके विधिक वारिसान वादीगण है, खातेदार छीतर का वास्तविक नाम सीताराम है, उसके तमाम व्यक्तिगत रिकॉर्ड में सीताराम दर्ज है, किन्तु राजस्व अंकन के त्रुटिपूर्ण अंकन मे उनका नाम बोलचाल की भाषा में छीतर दर्ज हो रखा है, इसी क्रम में खाता संख्या 57 मे उसके नाम के साथ उसके पिता स्व. भैरु उर्फ भैरुलाल के स्थान पर भँवरलाल दर्ज कर दिया गया है, तदर्थ यह वाद माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मे हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओ का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। इस परिस्थिति मे वादी के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है।

यह कि प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्ध वाद लाने के लिये धारा 80 दी. प्र. सं. के प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु राजस्व अभिलेख में हो रहे उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादी को घोर समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) दी.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रथक् से प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 15.05.2023 वादी द्वारा प्रतिवादी से ऊपरवर्णित त्रुटि परिशुद्ध करने बाबत निवेदन किया तो शासन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने बाबत हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ।

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष मे, विरूद्व प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने की कृपा करें :–

(अ) यह कि ग्राम रोण पटवार हलका शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल में खाता संख्या 55 खसरा संख्या 111 रकबा 0.18है., खसरा संख्या 112 रकबा 0.20है., खसरा संख्या 116 रकवा 0.06है., खसरा संख्या 130 रकबा 0.13है., खसरा संख्या 142 रकबा 1.05है. ,खसरा संख्या 223 रकबा 0.19है., खसरा संख्या 297 रकबा 0.03है. खसरा संख्या 541 रकबा 0.62है., खसरा संख्या 615 रकबा 1.21है., खसरा संख्या 616 रकबा 1.88है., खसरा संख्या 619/701 रकबा 0.31है. कुल किता 11 कुल रकबा 5.86है. में बतौर खातेदार छीतर पुत्र भैरु के स्थान पर सीताराम पुत्र भैरुलाल दर्ज किया जावे।

(ब) यह कि ग्राम रोण पटवार हलका शहनावदा तह. पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खाता संख्या 57ख.स. 613/712 कुल रकबा 0.91 है. में खातेदारी के कॉलम में छीतरलाल पुत्र भॅवरलाल के स्थान पर सीताराम पुत्र भैरुलाल दर्ज किया जाने हेतु जर्ये डिक्री आदेशित किया जावे।

(स) यह कि मृतक खातेदार सीताराम पुत्र भैरुलाल के स्थान पर उसके वैधवारिसान वादीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आदेश जर्ये डिक्री पारित किया जावे।

वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प शहनावदा में पेश हुई। प्रकरण पटवारी हलका व भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

पटवारी हलका व भू0अ0 निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में छीतर पुत्र भैरु व छीतरलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी रोण एवं प्रार्थी सीताराम

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि...
इटावा जिला कोटा

पुत्र भंवरलाल एक ही व्यक्ति है। पटवारी हलका द्वारा मजमे आम में तैयार किया गया मौका पर्चा भी संलग्न किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी माल ग्राम रोण पटवारी हलका शहनावदा माल के खाता सं0 55 खसरा संख्या 111 रकबा 0.18है., खसरा संख्या 112 रकबा 0.20है., खसरा संख्या 116 रकबा 0.06है., खसरा संख्या 130 रकबा 0.13है., खसरा संख्या 142 रकबा 1.05है.,खसरा संख्या 223 रकबा 0.19है., खसरा संख्या 297 रकबा 0.03है. खसरा संख्या 541 रकबा 0.62है., खसरा संख्या 615 रकबा 1.21है., खसरा संख्या 616 रकबा 1.88है., खसरा संख्या 619/701 रकबा 0.31है. कुल किता 11 कुल रकबा 5.86है. में खातेदार का नाम छीतरलाल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर सीताराम पुत्र भैरूलाल दर्ज किया जावे।

विवादित आराजी ग्राम रोण पटवार हलका शहनावदा तह0 पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खाता संख्या 57 ख0सं0 613/712 कुल रकबा 0.91 है0 में खातेदारी कॉलम में छीतरलाल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर सीताराम पुत्र भैरूलाल दर्ज किया जावे।

विवादित आराजी मृतक खातेदार सीताराम पुत्र भैरूलाल के स्थान पर उसके वैधवारिसान वादीगण के नाम नामनान्तरकरण दर्ज दिया जावे। विवादित आराजी यदि रहनभार हेतु यथावत रहेगा। प्रकरण कैम्प के दौरान निस्तारित किया गया है डिक्री की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार पीपल्दा को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

अंजना सहरावत
सहायक कलक्टर
इटावा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा